तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.08.25	पत्रावली आज पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य में व्यस्त है। इलत्वा होकर पत्रावली दिनांक 01.09.25 को पेश हो।	
01.09.2025	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि सरहद मौजा ग्राम मोतीसरा में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 780/331 रकबा 0.4775 हैक्टेयर में में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 से 10 की खातेदारी खेत खसरा संख्या 781/331 व 782/331 में से चिरकाल से चल रहा रास्ता ही एकमात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते की भूमि को राजस्व रेकर्ड में गै.मु.रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है प्रार्थीगण उक्त रास्ते के रूप में उपयोग आने वाली भूमि के क्षतिपूर्ति के रूप डी.एल.सी.दुगना राशि विप्रार्थी संख्या 1 से 10 को दिये जाने हेतु सहमत है। विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ते से ही आवागमन कर रहे है जो मौके पर चालू हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे। हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा संख्या 780/331 में जाने हेतु खसरा संख्या 781/331 व खसरा संख्या 782/331 के बीच से सहमति से विप्रार्थीगण ने मार्ग दिया है एवं मौके पर मार्ग चालू है, जो प्रार्थीगण द्वारा सहमतिपूर्वक बिना प्रतिफल दिये प्राप्त किया है, वर्तमान में रास्ता खुला है एवं खसरा संख्या 780/331 में निर्बाध रूप से आवगमन हो रहा है। लिहाजा तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में आवगमन हेतु रास्ता उपलब्ध होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Surendra Singh Khangarot Date: 2026.02.09 17:43:30 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)	